Helpline 1064 | 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **करौली में दो पटवारी क्रमशः 7 हजार रुपये एवं 5 हजार रुपये (कुल 12 हजार रुपये) रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *10 नवम्बर, शुक्रवार* / ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर करौली इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये राजेन्द्र कुमार गुर्जर पटवारी पटवार हल्का बझेड़ा एवं सुरेन्द्र कुमार जाट पटवारी पटवार हल्का भंगो, तहसील हिण्डौनसिटी, जिला करौली को परिवादी से क्रमशः **7 हजार रुपये एवं 5 हजार रूपये (कुल 12 हजार रुपये)** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक (अतिरिक्त चार्ज) श्री हेमन्त प्रियदर्शी ने बताया कि ए.सी.बी. की करौली इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके कब्जाशुदा सिवायचक भूमि पर 91 भू–राजस्व अधिनियम की कार्यवाही करने की धमकी देकर राजेन्द्र कुमार गुर्जर पटवारी पटवार हल्का बझेड़ा एवं सुरेन्द्र कुमार जाट पटवारी पटवार हल्का भंगो, तहसील हिण्डौनसिटी, जिला करौली द्वारा आपस में मिलीभगत कर **17 हजार रुपये** रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, भरतपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री कालूराम रावत** के निर्देशन में एसीबी की करौली इकाई के **पुलिस निरीक्षक श्री जगदीश भारद्वाज** द्वारा शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज मय टीम ट्रेप कार्यवाही करते हुये राजेन्द्र कुमार गुर्जर पुत्र श्री आराम सिंह गुर्जर निवासी खेड़ली गुर्जर, पुलिस थाना नई मण्डी, हिण्डौनसिटी, जिला करौली हाल पटवारी पटवार हल्का बझेड़ा तहसील हिण्डौनसिटी, जिला करौली एवं सुरेन्द्र कुमार जाट पुत्र श्री निहाल सिंह निवासी महूखास, पुलिस थाना नई मण्डी, हिण्डौनसिटी, जिला करौली हाल पटवारी पटवार हल्का भंगो, तहसील हिण्डौनसिटी, जिला करौली को परिवादी से क्रमशः **7 हजार रुपये एवं 5 हजार रूपये (कुल 12 हजार रुपये)** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोपी पटवारीगण द्वारा शिकायत से पूर्व ही परिवादी से **5 हजार रूपये** की रिश्वत राशि वसूल कर ली थी।

एसीबी के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री कालूराम रावत के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक, श्री हेमन्त प्रियदर्शी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।